न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 370 सन 2019

अनवान :–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. सरस्वती पुत्री रामेश्वर पत्नी बलवन्त जाति जाट निवासी खारिया तहसील सिरसा
2. गुडी पुत्री रामेश्वर पत्नी दलीपसिह जाति जाट निवासी खारिया तहसील सिरसा
3. इन्द्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झोटड तहसील सिरसा
4. सावित्री पुत्री रामेश्वर पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी झोटड तहसील सिरसा
5. बादो देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी बलवीर निवासी रामपुरा बगडिया तहसील सिरसा
6. सावित्री पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी जिला सिरसा
7. मन्जू पुत्री जगदीश पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बासडा तहसील भादरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

9. महेन्द्र 10 देवीलाल पुत्रगण रामेश्वर जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी जिला सिरसा
11 रविकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी जिला सिरसा

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 106/115 के कुल 4 खसरा की 4.7180हैक भूमि वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामेश्वर व उसकी धर्मपत्नि तुलछादेवी का देहान्त हो चुका है रामेश्वर के एक पुत्र जगदीश का भी देहान्त हो चुका है वर्तमान में रामेश्वर व उसकी पत्नि तुलछा व रामेश्वर के पुत्र जगदीश के देहान्त होने के वाद जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 , 9 ता 11 है अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ,9 ता 11 का हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो वादीगण की भूआ है प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की मता व प्रतिवादी संख्या 7 वादी की बहन है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,9 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामेश्वर के नाम से दर्ज थी रामेश्वर व उसकी पत्नि तुलछीदेवी एवं रामेश्वर के पुत्र जगदीश का देहान्त होने पर विरास्तन से वादी भूमि वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि रामेश्वर व उसकी पत्नि तुलछी देवी व पुत्र जगदीश के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,जो वादी की बहन /बुआ /माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 106/115 के कुल 4 खसरा की 4.7180हैक भूमि वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामेश्वर व उसकी धर्मपत्नि तुलछादेवी का देहान्त हो चुका है रामेश्वर के एक पुत्र जगदीश का भी देहान्त हो चुका है वर्तमान में रामेश्वर व उसकी पत्नि तुलछा व रामेश्वर के पुत्र जगदीश के देहान्त होने के वाद जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 , 9 ता 11 है अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ,9 ता 11 का हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो वादीगण की भूआ है प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की मता व प्रतिवादी संख्या 7 वादी की बहन है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 106/115 के कुल 4 खसरा की 4.7180हैक भूमि वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा रामेश्वर के नाम से दर्ज थी वादी के दादा रामेश्वर एवं उसकी पत्नि तुलछीदेवी एवं रामेश्वर के एक पुत्र जगदीश का देहान्त हो जाने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी की दादी तुलछादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तरततीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के नाम 8/9 हिस्सा तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ,7 व 11 के नाम 1/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या , 1 ता 7 जो वादी की बहने/बुआ/माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके सम्बध में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 , 9 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 106/115 के कुल 4 खसरों की कुल 4.7180हैक भूमि में वादी की दादी तुलछी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 11 का 2.229हैक बहिब व प्रतिवादी संख्या 9 के 2.297हैक व प्रतिवादी संख्या 10 का 0. 192हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1 सरस्वती पुत्री रामेश्वर पत्नी बलवन्त जाति जाट निवासी खारिया तहसील सिरसा
2. गुडी पुत्री रामेश्वर पत्नी दलीपसिह जाति जाट निवासी खारिया तहसील सिरसा
3. इन्द्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झोटड तहसील सिरसा
4. सावित्री पुत्री रामेश्वर पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी झोटड तहसील सिरसा
5. बादो देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी बलवीर निवासी रामपुरा बगडिया तहसील सिरसा
6. सावित्री पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी जिला सिरसा
7. मन्जू पुत्री जगदीश पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बासडा तहसील भादरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

9. महेन्द्र 10 देवीलाल पुत्रगण रामेश्वर जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी जिला सिरसा
11 रविकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथुसरी तहसील नाथुसरी जिला सिरसा

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 370 सन 2019 निर्णय दिनांक– 10/12/2019

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 106/115 के कुल 4 खसरों की कुल 4.7180हैक भूमि में वादी की दादी तुलछी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 11 का 2.229हैक बहिब व प्रतिवादी संख्या 9 के 2.297हैक व प्रतिवादी संख्या 10 का 0.192हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)